समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिवजी को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक हैं, अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी

दूरभाष 2529540, 25275320
तार यूनिर्वसिटी
फेक्स 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452001

क्र सं.वि.क./2026/724 दिनांक :- 25 AUG 2026

प्रति,
विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी,
समस्त अध्ययनशालाएं, दे.अ.वि.वि.,
नालंदा परिसर, खण्डवा रोड, इन्दौर

विषय : भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में।
संदर्भ : मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास से प्राप्त पत्र क्र/38/सं.स./मु.मं./2026 भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2026 के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के परिपेक्ष्य में दिनांक 20 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण संस्कृति विभाग के संदर्भित पत्र (संलग्न) द्वारा जारी किया गया है।

उक्त प्रतियोगिता में आपके विभाग के विद्यार्थियों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए संलग्न पत्र में प्रदत्त निर्देशो का अवलोकन कर तद्नुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कर कार्यालय के ई मेल shrikrishnapatheynyas@gmail.com पर अवगत करावें।

कुलसचिव

संलग्न :–संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

पृ. क्र सं.वि.क./2026/724 दिनांक :- 25 AUG 2026
प्रतिलिपि :–
1/ माननीय कुलगुरूजी के निज सहायक देअविवि, इन्दौर।
2/ कुलसचिवजी के सहायक, देअविवि, इन्दौर।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

श्रीराम तिवारी
संस्कृति सलाहकार, मुख्यमंत्री
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास

क्रमांक/38 /सं.स./मु.मं./2026 भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2026

प्रति,

रजिस्टार/संस्था प्रमुख (समस्त)
शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय
(उच्च शिक्षा विभाग/तकनीकि शिक्षा विभाग/जनसंपर्क/
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग/
संस्कृति विभाग/ तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)

विषय : भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में।

संदर्भ : 1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 5-8/2026/1/4, भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2026

2. मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग का पत्र क्रमांक 917/2026/तीस, भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2026

महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व आयोजन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में 20 जुलाई 2026 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण संस्कृति विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा जारी किया गया है। कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 5 अनुसार "भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 64 कलाओं एवं 14 विद्याओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 102 मेधावी छात्र-छात्राओं (51 स्कूल से, 51 कॉलेज-विश्वविद्यालय से) को श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा एक मुश्त एक बार राशि रूपये 1,00,000 की छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति विभाग अंतर्गत श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। **(विज्ञप्ति संलग्न है)**

विषयांतर्गत प्रतियोगिता 11 से 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए Link/QR Code नीचे उल्लिखित है। उक्त प्रतियोगिता में आपके विभाग द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्याय के छात्रों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु कृपया सबंधित को निर्देशित करते हुए इस कार्यालय को E-mail: shrikrishnapatheynyas@gmail.com पर अवगत कराने का अनुरोध है।

विशेष रूप से 4 सितम्बर 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' तथा 5 सितम्बर 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर एक अभियान चलाकर छात्रों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने का अनुरोध है।

संलग्न : यथोक्त।

Link - https://shrikrishnapatheynyas.com/
QR Code -

(श्रीराम तिवारी)
संस्कृति सलाहकार
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्रीकृष्ण पाथेय न्यास

हिं EN

दिशा निर्देश

भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना हेतु ऑन लाइन प्रतियोगिता के दिशा निर्देश

निःशुल्क 30 प्रश्न 10 मिनट दो वर्ग

विषय सूची

1 प्रतियोगिता का स्वरूप एवं पात्रता 2 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी 3 प्रतियोगिता का स्वरूप 4

1 प्रतियोगिता का स्वरूप एवं पात्रता

1. प्रतियोगिता दो वर्गो-, विद्यालय स्तर और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।
2. विद्यालय स्तर : कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षार्थी (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक आदि)।
3. उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं (CAT, JEE, CLAT, NEET) में भाग लेने वाले विद्यार्थी। ऐसे अभ्यार्थी का शाला में अध्ययनत होना अनिवार्य नहीं होगा एवं संस्था के कॉलम में वे अपनी 12वीं उत्तीर्ण विद्यालय का नाम अंकित कर सकेंगे।
4. महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर : महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ।
5. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर मध्यप्रदेश में अध्ययनरत हो अथवा पाँच वर्षों से निरंतर मध्यप्रदेश में अध्ययनरत हो।

6 प्रतियोगिता में भाग लेना निःशुल्क है।

2 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी

1. नाम, पता, जिला, ईमेल, मोबाइल नंबर, शिक्षा और अध्ययनरत संस्था का नाम।
2. प्रतियोगी को यह भी चुनना होगा कि वह विद्यालय स्तर के वर्ग में है या महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर के वर्ग में।
3. समस्त जानकारी सही और अपने प्रमाणपत्रों के आधार पर भरें। गलत जानकारी पाए जाने पर प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी।

3 प्रतियोगिता का स्वरूप

1. प्रतियोगिता महर्षि सांदीपनि के दर्शन, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा ग्रहण की गई 14 विद्याओं, 64 कलाओं, उनके जन कल्याण के मार्ग और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित होगी।
2. प्रतियोगिता में कुल 30 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न में सिर्फ एक विकल्प सही होगा।
3. प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक प्राप्त होगा। गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं कटेगा।
4. प्रतियोगिता के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित होगा।
5. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रविष्टि स्वत: जमा हो जायेगी।

4 चयन प्रक्रिया

1. प्रत्येक जिले से दोनों वर्गों (विद्यालय, महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय) के 50-50 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, अर्थात कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।

2. प्रदेश के सभी जिलों की सूची को एक्जाई कर दोनों वर्गों में अलग-अलग प्रदेश स्तरीय सूची तैयार की जायेगी।
3. प्रदेश स्तरीय सूची में से निर्णायक मंडल के समक्ष लॉटरी के माध्यम से विजेताओं का चयन किया जायेगा।
4. परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा तथा चयनित विद्यार्थियों को ईमेल और मोबाइल पर अवगत कराया जाएगा।

5 अन्य आवश्यक शर्तें

1. चयन होने के पश्चात आवश्यक प्रमाण-पत्र, अंकसूची, संस्था का पहचान पत्र, निवास प्रमाण, आधार और बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
2. चयनित विद्यार्थियों के नाम, जिले, संस्था और कार्यक्रम की फोटो व वीडियो का उपयोग करने का अधिकार आयोजक संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
3. प्रतियोगिता से संबंधित नियमों और तिथियों में परिवर्तन का अधिकार एवं बिना किसी कारण के समस्त कार्यवाही निरस्त करने का अधिकार आयोजक संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
4. किसी भी विवाद में श्रीकृष्ण पाथेय न्यास का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

श्रीकृष्ण पाथेय न्यास, भोपाल

संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन

प्रथम तल, रवीन्द्र भवन सभागम, पॉलिटेक्निक
चौराहा, भोपाल, मध्यप्रदेश - 462003

shrikrishnapatheynyas@gmail.com

0755 4535064

लिंक

हमारे बारे में

प्रतियोगिता

नियम

संपर्क

गोपनीयता सूचना

उपयोग की शर्तें

जुड़ें

© 2026 श्रीकृष्ण पाथेय न्यास, भोपाल